



मध्यांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड

(उ०प्र० सरकार का उपक्रम)

प्रधान कार्यालय, 4-ए गोखले मार्ग, लखनऊ

फोन कार्या० 0522-2208737, 2207065

फैक्स नं०- 0522-2208769

E mail : md.mvvn12010@gmail.com

सं० प्रनि/मविनिनि/2013

दिनांक 2013

विषय:- ओवरलोडिंग के कारण रोस्टिंग के संबंध में।

मुख्य अभियन्ता (वितरण),
मध्यांचल विद्युत वितरण निगम लि०,
लेसा/लखनऊ/बरेली/फैजाबाद क्षेत्र।

आपको निर्देशित किया जाता है कि आगामी ग्रीष्म ऋतु के प्रारम्भ होने के पूर्व जिन 33/11 केवी उपकेन्द्रों की क्षमता वृद्धि की जानी हो, 11 केवी उपकेन्द्र से निकलने वाले अतिभारित पोषक का विभाजन किया जाना हो, 132 केवी से निकलने वाली 33 केवी लाइन यदि अतिभारित हो या इसके अतिरिक्त रोस्टिंग संबंधित कोई अन्य कार्य किया जाना हो, के सभी प्रस्ताव बिजनेस प्लान में सम्मिलित करते हुए उसका सम्पादन इस प्रकार नियोजित करें कि समस्त कार्य प्रत्येक दशा में आगामी 30 मार्च, 2014 तक अवश्य पूर्ण हो जायें। उपरोक्त वर्णित कार्यों की कार्ययोजना इस कार्यालय को 15 दिसम्बर, 2013 तक प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

इस पत्र के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि 01, अप्रैल 2014 के पश्चात यदि आपके अधीनस्थ किसी भी क्षेत्र में लाइन, परिवर्तक या पोषक की ओवरलोडिंग के कारण रोस्टिंग करनी पड़ी तो आपकी व्यक्तिगत जिम्मेदारी मानते हुए आपके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जायेगी एवं आपकी वार्षिक गोपनीय पंजिका में भी इसका अंकन कर दिया जायेगा, जिसके लिए आप स्वयं जिम्मेदार होंगे।

(ए०पी० मिश्र)
प्रबन्ध निदेशक

सं० 173 प्रनि/मविनिनि/2013/कैम्प तददिनांक 12/12/2013

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

1. निदेशक (तकनीकी) मध्यांचल विद्युत वितरण निगम लि०, लखनऊ को इस आशय से प्रेषित है कि क्षेत्रवार बैठक कर उपरोक्त सभी कार्यों का सम्पादन तथा नियोजन एवं तत्संबंधी आवश्यक सामग्री का नियोजन कर यह सुनिश्चित करें कि 31 मार्च 2014 के पूर्व उपरोक्त समस्त कार्य पूर्ण हो जायें।
2. समस्त अधीक्षण अभियन्ता, (वितरण) मध्यांचल विद्युत वितरण निगम लि०।
3. समस्त अधिशासी अभियन्ता, विद्युत (वितरण) मध्यांचल विद्युत वितरण निगम लि०।

(ए०पी० मिश्र)
प्रबन्ध निदेशक

सी०सी०: अध्यक्ष महोदय, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि० को सादर अवलोकनार्थ प्रेषित।